न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 804 / 2026
छातापुर थाना काण्ड संख्या– 227 / 2025

	कंगिया देवी उर्फ करिया देवी..... आवेदक बनाम् बिहार सरकार..... विपक्षी	
09 / 07 / 26	प्रार्थी अभियुक्त कंगिया देवी उर्फ करिया देवी की ओर से छातापुर थाना काण्ड सं0 227 / 2025 में अपनी गिरफतारी की आशंका दिखाते हुए दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार सिंह द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष हैं एवं उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त को गांव की गंदी राजनीति के तहत झूठा फंसाया गया है तथा लगाया गया आरोप बनावटी व मनगढंत है। प्रार्थी अभियुक्त को जमीन संबंधी विवाद के कारण झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है तथा अनुसंधान के क्रम में इसका नाम आया है। प्रस्तुत घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है केवल जमीनी विवाद के कारण मनगढंत आरोप लगाय झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। संपूर्ण प्राथमिकी में प्रार्थी अभियुक्त के द्वारा घटना कारित करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और न ही कथित शादी समारोह में प्रार्थी अभियुक्त शामिल थी। अनुसंधान के क्रम में बिना कोई ठोस साक्ष्य के ही उसे नामजद किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप आकर्षित नहीं होता है। प्रार्थी अभियुक्तगण धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 का अनुपालन करने, सक्षम जमानतदार देने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री सत्य नारायण मेहता द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। सूचिका के उपस्थिति हेतु नोटिस निर्गत किया गया है परंतु सुनवाई के क्रम में सूचिका उपस्थित नहीं हुई है। प्रस्तुत वाद सूचिका राजो देवी के फर्द बयान के आधार पर धारा 103(1), 3(5) BNS, 27 Arms Act and 3(1)(r)(s)/3(2)(va) SC/ST Act के अंतर्गत छातापुर थाना काण्ड सं0 227 / 25 दर्ज किया गया है। सूचिका का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 13 / 07 / 25 को समय करीब 07 बजे शाम को उसके पति एवं पुत्र घर से महेन्द्र उरांव के घर पर शादी में भोज खाने के लिए गये हुए थे। वहीं पर प्रार्थी अभियुक्त सहित अन्य अभियुक्तगण भी भोज खाने गये थे। तभी सूचिका के पति अभियुक्तगण से जमीन को धोखाधड़ी से लिखवाने की बात करने लगे तथा बोले कि मेरा जमीन वापस कर दो। इसी बात पर सभी अभियुक्तगण विवादित जमीन पर सूचिका के पति को ले गये तथा अभियुक्त मुकेश यादव एवं किशोर सरदार उसे गोली मार दिया। सूचिका अपने पति को छातापुर अस्पताल लेकर आये, अस्पताल ले जाने के क्रम में उसके पति ने सारी बात उसे बताई। जिसके बाद बेहतर ईलाज हेतु मधेपुरा रेफर कर दिया गया, जहॉ पर दिनांक 14 / 07 / 2025 को सुबह करीब 3–4 बजे मृत्यु हो गयी। उभय पक्ष को सुना व अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद सूचिका के पति को गोली मारकर हत्या करने के आरोप में दर्ज कराया गया है। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है बल्कि अनुसंधान के क्रम में प्रार्थी	लगातार.....

09/07/26 लगातार	अभियुक्त का नाम इस काण्ड में आया है। सूचिका ने अपने पुनः बयान (पैरा– 08) तथा अन्य साक्षियों ने अपने–अपने बयानों (पैरा– 09, 10, 25 व 26) में घटना का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका–37 में पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिससे भी स्पष्ट है कि मृतक को गोली लगी है जिससे भी प्राथमिकी का पूर्णतः समर्थन होता है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में काण्ड को प्रार्थी अभियुक्त करिया देवी एवं एक अन्य सुलेखा देवी को छोड़कर अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध सत्य पाया गया है जबकि प्रार्थी अभियुक्त के अभियुक्तिकरण के विन्दु पर साक्ष्य संकलन पश्चात निर्णय लिया जाना श्रेयष्कर प्रतीत होना बताया गया है (पैरा– 133)। जमानत आवेदन के कंडिका–03 के अनुसार प्रार्थी अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है परंतु अभिलेख एवं कांड दैनिकी में प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्त कंगिया देवी उर्फ करिया देवी के विरूद्ध काण्ड को अभी तक सत्य नहीं पाया गया है। ऐसी दशा में प्रार्थी अभियुक्त की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत पोषणीय नहीं है। तद्नुसार प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन बिना गुणदोष के आधार पर खारिज किया जाता है। लेखापित ह0/– (दिलीप कुमार सिंह) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह– विशेष–न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0), सुपौल	